

28/02/25

अधिवक्ता उमथपल 34। प्रकाश में देखी।
संख्या 02 के आयम मुकाम की कार्यवाही बाबू।
अपीलेंट अधिवक्ता की उरि वार अवसर प्रशन
किये जाने के बावजूद अधिवक्ता अपीलेंट
द्वारा देखी। संख्या 02 के आयम मुकाम की
कार्यवाही आज दिनांक पेशी तक नहीं की गई
है। अधिवक्ता अपीलेंट का उक्त हृत्य न्यायालय
के आदेशों की अवहेलना में परिलक्षित होता है।
लिहाजा पञ्जाबली अदम तकमील में धारि
की जाती है। पञ्जाबली फैसल सुनार होकर
बाद आवश्यक कार्यवाही दारिदर दुबल है।